अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 45 /2022–23

04
21.6.23

राज्य

बनाम

संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा पिता– स्व० जय किशोर प्रधान, निवासी– लाह कोठी रातु रोड, थाना– सुखदेवनगर, जिला–रांची वर्त्तमान पता ग्राम–सिमलिया, नियर धौनी फार्म हाउस, दलादली चौक, थाना– रातु, जिला–राँची (झारखण्ड) ....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 491/डी०सी०बी० दिनांक 09.05.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा पिता– स्व० जय किशोर प्रधान, निवासी– लाह कोठी रातु रोड, थाना– सुखदेवनगर, जिला–रांची वर्त्तमान पता ग्राम–सिमलिया, नियर धौनी फार्म हाउस, दलादली चौक, थाना– रातु, जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. कोतवाली सुखदेवनगर थाना कांड सं0– 755/13, दि०– 26.08. 2013, धारा 387/120(बी)/34 भा0द0वि०
2. कोतवाली सुखदेवनगर थाना कांड सं0– 1106/13, दि० 11.12. 2013 धारा 388/419/420/467/468/471/414/34/120 (बी) भा०द०वि०
3. सदर थाना कांड सं0– 122/14, दि०– 20.03.2014 धारा 188/385/387/420/120 (बी) भा०द०वि०
4. लालपुर थाना कांड सं0– 157/14, दि०– 15.06.2014, धारा 307/290/160/34 भा०द०वि०
5. रातु थाना कांड सं0– 122/14, दि० 18.06.2014, धारा

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

387 / 506 / 504 / 120(बी) / 34 भा०द०वि०

6. कोतवाली थाना कांड सं0– 813 / 15, दि०– 03.10.2015, धारा 384 / 386 / 120(बी) भा०द०वि०
7. सुखदेवनगर पंडरा थाना कांड सं0– 114 / 15, दि०– 29.11. 2015, धारा 384 / 386 / 120(बी) / 34 भा०द०वि०
8. सुखदेवनगर थाना कांड सं0– 31 / 16, दि०– 18.01.2016, धारा 386 / 387 / 506 / 120(बी) / 34, भा०द०वि०
9. सुखादेवनगर थाना कांड सं0– 540 / 16, दि0 20.09.2016, धारा 364 / 386 / 120 (बी) / 34 भा०द०वि०
10. सुखदेवनगर थाना कांड सं0– 20 / 17, दि०– 11.01.2017 धारा 384 / 386 / 120(बी) / 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
11. कोतवाली थाना कांड सं0– 20 / 17, दि०–01.02.2017 धारा 386 / 34 भा०द०वि०
12. कोतवाली थाना कांड सं0– 159 / 17, दि०– 23.06.2017 धारा 386 / 34 भा०द०वि०
13. कांके थाना कांड सं0– 81 / 17, दि०– 03.07.2017 धारा 384 / 386 / 387 / 120(बी) भा०द० वि०
14. सुखदेवनगर थाना कांड सं0– 392 / 18, दि०– 23.07.2018, धारा 25(1–बी) 26 / 35 आर्म्स एक्ट

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक–978 / 2023, दिनांक– 30.04.2023 के द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के अपराधर्मी संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा पिता– स्व० जय किशोर प्रधान, निवासी– लाह कोठी रातु रोड, थाना– सुखदेवनगर, जिला–रांची वर्त्तमान पता ग्राम–सिमलिया, नियर धौनी फार्म हाउस, दलादली चौक, थाना–रातु, जिला–राँची एक सक्रिय अपराधकर्मी है। जेल से बाहर आने पर भी इनके क्रियाकलाप मे कोई खास परिवर्तन नही हुआ है, जिससे थाना के आस पास के क्षेत्र मे शांति व्यवस्था भंग हो गया है। वह स्थानीय व्यवसायी एवं ठीकेदारों से रंगदारी मांग रहा है साथ ही जमीनो पर अवैध कब्जा करने की बात

ादेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्रकाश में आयी है। जिससे आम लोगो एवं व्यवसायियों में भय का महौल है। ये अपने सहयोगी के साथ मिलकर पुनः घटना को अंजाम देने की फिराक मे है। सत्यापन के दौरान इनका आचरण संदिग्ध पाया गया है। आम लोगो के बीच लोक शांति बनाये रखने के लिए इनपर प्रतिदित निगरानी रखना आवश्यक है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार – विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप झुठे एवं बेबुनियाद है। वे किसी भी अपराध या असमाजिक गतिविधियों मे शामिल नही है। वे किसी भी काण्ड मे दोषी करार नही किये गये है। पुलिस द्वारा समर्पित आधार काण्ड वर्ष 2018 के पूर्व से संबंधित है। उन्हे झुठे आरोपो मे फंसाया गया है। उपरोक्त वर्णित अधिकतम काण्ड मे माननीय न्यायालय द्वारा उन्हे दोशमुक्त करार कर दिया गया है। वर्त्तमान मे मात्र दो से तीन वाद उनके खिलाफ लंबित है, जिसमे उन्हे जमानत प्राप्त है। पुलिस द्वारा विपक्षी के खिलाफ सन्हा मात्र प्रस्तुत कार्यवाही आरम्भ करने हेतु दायर किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ कोई सन्हा दर्ज नही किया गया है। विपक्षी की मॉ की उम्र लगभग 80 वर्ष है, जो चलने फिरने मे लाचार है, उनकी देखभाल विपक्षी द्वारा किया जाता है। विपक्षी के कई दु मन है एवं यदि उन्हे प्रतिदिन थाना मे उपस्थिति दर्ज करने हेतु जाना पडे, तो उनके जान को खतरा हो सकता है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा स्थानीय व्यवसाय एवं ठिकेदारो से रंगदारी मॉगना एवं जमीनों पर अवैध कब्जा करना है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इनके द्वारा दायर कारण पृच्छा संतोषप्रद नही है केवल अपने बचाव का प्रयास है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा पिता–स्व० जय किशोर प्रधान, निवासी–लाह कोठी रातु रोड, थाना–सुखदेवनगर, जिला–रांची वर्त्तमान पता ग्राम–सिमलिया, नियर धौनी फार्म हाउस, दलादली चौक, थाना– रातु, जिला–राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा पिता–स्व० जय किशोर प्रधान, निवासी–लाह कोठी रातु रोड, थाना– सुखदेवनगर, जिला–रांची वर्त्तमान पता ग्राम–सिमलिया, नियर धौनी फार्म हाउस, दलादली चौक, थाना– रातु, जिला–राँची को दिनांक 26.06.2023 से दिनांक 25.09.2023 तक की अवधि के लिए रातु थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) थाना में दिनांक 25.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 26.06.2023 से दिनांक 25.09.2023 तक प्रत्येक रविवार रातु थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा पिता– स्व० जय किशोर प्रधान, निवासी– लाह कोठी रातु रोड, थाना– सुखदेवनगर, जिला–रांची वर्त्तमान पता ग्राम–सिमलिया, नियर धौनी फार्म हाउस, दलादली चौक, थाना– रातु, जिला–राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय।

ादेश का क्रम ंख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा पिता– स्व० जय किशोर प्रधान, निवासी– लाह कोठी रातु रोड, थाना– सुखदेवनगर, जिला–रांची वर्त्तमान पता ग्राम–सिमलिया, नियर धौनी फार्म हाउस, दलादली चौक, थाना– रातु, जिला–राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 13:53:56 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d